



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072021-228403
CG-DL-E-22072021-228403

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2688]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 20, 2021/ आषाढ़ 29, 1943

No. 2688]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 20, 2021/ASHADHA 29, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2021

का.आ. 2894(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहाँपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-730C (अल्लाहगंज-मीरानपुर कटरा-रुढ़ैता खण्ड तक) को ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर परियोजना (जीएनएचसीपी) के अन्तर्गत निर्माण/चौड़ीकरण (दो/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप/आपत्ति कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विषेश भूमि अध्याप्ति अधिकारी, (संयुक्त-संगठन) शाहजहाँपुर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है, और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद शाहजहाँपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-730C (अल्लाहगंज-मीरानपुर कटरा-रड्डैता खण्ड तक) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: शाहजहाँपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: तिलहर					
गांव का नाम: खुदागंज बांगर					
1	111	अन्य	कृषिक/अकृषिक	0.1520000(हेक्टेयर)	0.1520000
2	14	सरकारी	अकृषिक	0.0060000(हेक्टेयर)	0.0060000
3	31	अन्य	कृषिक/अकृषिक	0.0060000(हेक्टेयर)	0.0060000
4	32	सरकारी	अकृषिक	0.0030000(हेक्टेयर)	0.0030000
5	34	निजी	कृषिक	0.0195000(हेक्टेयर)	0.0195000
6	35	निजी	कृषिक	0.0260000(हेक्टेयर)	0.0260000
7	40	सरकारी	अकृषिक	0.0040000(हेक्टेयर)	0.0040000
8	41	निजी	कृषिक	0.0250000(हेक्टेयर)	0.0250000
9	71	निजी	कृषिक	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
10	72	निजी	कृषिक	0.0125000(हेक्टेयर)	0.0125000
11	77	निजी	कृषिक	0.0675000(हेक्टेयर)	0.0675000
12	78	सरकारी	अकृषिक	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
13	8	अन्य	कृषिक/अकृषिक	0.0120000(हेक्टेयर)	0.0120000
14	80	निजी	कृषिक	0.0994000(हेक्टेयर)	0.0994000
15	81	निजी	कृषिक	0.1190000(हेक्टेयर)	0.1190000
16	87	निजी	कृषिक	0.0050000(हेक्टेयर)	0.0050000
कुल				0.6369	0.6369

[फा. सं. PIU/MoRT&H/LA/SZP/2020-21/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2021

S.O. 2894(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two-laning with paved shoulders/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway-730C (Allahganj-Miranpur Katra-Radhaita Section) in district Shahjahanpur, in the State of Uttar Pradesh under Green National Highway Corridor Project (GNHCP) hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under subsection(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special Land Acquisition Officer (Sa.Sa.), Shahjahanpur, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Allahganj-Miranpur Katra-Radhaita Section of the National Highway-730C in district Shahjahanpur in the State of Uttar Pradesh.

State: UTTAR PRADESH			District: SHAHJAHANPUR		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Tilhar					
Village: Khudaganj Bangar					
1	111	Common	Agricultural/Non Agricultural	0.1520000(Hectare)	0.1520000
2	14	Government	Non Agricultural	0.0060000(Hectare)	0.0060000
3	31	Common	Agricultural/Non Agricultural	0.0060000(Hectare)	0.0060000
4	32	Government	Non Agricultural	0.0030000(Hectare)	0.0030000
5	34	Private	Agricultural	0.0195000(Hectare)	0.0195000
6	35	Private	Agricultural	0.0260000(Hectare)	0.0260000
7	40	Government	Non Agricultural	0.0040000(Hectare)	0.0040000
8	41	Private	Agricultural	0.0250000(Hectare)	0.0250000
9	71	Private	Agricultural	0.0500000(Hectare)	0.0500000
10	72	Private	Agricultural	0.0125000(Hectare)	0.0125000
11	77	Private	Agricultural	0.0675000(Hectare)	0.0675000
12	78	Government	Non Agricultural	0.0300000(Hectare)	0.0300000
13	8	Common	Agricultural/Non Agricultural	0.0120000(Hectare)	0.0120000
14	80	Private	Agricultural	0.0994000(Hectare)	0.0994000

15	81	Private	Agricultural	0.1190000(Hectare)	0.1190000
16	87	Private	Agricultural	0.0050000(Hectare)	0.0050000
Total				0.6369	0.6369

[F. No. PIU/MoRT&H/LA/SZP/2020-21/3A]

RAJESH GUPTA, Director